भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3323

सोमवार, 16 दिसंबर, 2024/25 अग्रहायण, 1946 (शक)

बेरोजगार युवा

3323. डॉ. नामदेव किरसान:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास देश में बेरोजगार युवाओं की संख्या से संबंधित कोई आंकडे हैं, यदि हां, तो विशेष रूप से महाराष्ट्र के गढ़चिरौली लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा देश में युवाओं के बीच बेरोजगारी दर को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या यह सच है कि आज बड़ी संख्या में लोग कृषि से सेवा क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित हो रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है; और

(ङ) गढ़चिरौली लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से देश के अन्य क्षेत्रों में काम के लिए पलायन करने वाले मजदूरों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): रोजगार और बेरोजगारी पर आधिकारिक डेटा वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से एकत्र किया जाता है, जो 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किया जाता है। सर्वेक्षण अवधि हर साल जुलाई से जून तक होती है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, देश में 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) 2017-18 में 17.8% से घटकर 2023-24 में 10.2% हो गई है। इसी अवधि के दौरान, महाराष्ट्र के 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर बेरोजगारी दर (यूआर) 15.0% से घटकर 10.8% हो गई है।

रोजगार सृजन के साथ-साथ नियोजनीयता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है और यह एक बहु-हितधारक पहल है। तदनुसार, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग विभिन्न रोजगार सृजन योजनाएं/कार्यक्रम जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) आदि कार्यान्वित कर रहे हैं, जो पूंजीगत व्यय में वृद्धि के साथ-साथ रोजगार सृजन को बढ़ावा देना चाहते हैं। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत कौशल विकास केंद्रों/स्कूलों/कॉलेजों/संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुन: कौशल और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्किल इंडिया मिशन (एसआईएम) का कार्यान्वयन कर रही है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशल में प्रवीणता दिला कर भविष्य के लिए तैयार करना है।

सरकार ने बजट 2024-25 में 5 योजनाओं और पहलों संबंधी प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा की है, जिससे 5 साल की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार, कौशल और अन्य अवसर प्रदान किए जा सकेंगे, जिसके लिए 2 लाख करोड़ रुपये का केंद्रीय परिव्यय होगा।

बजट 2024-25 में 1,07,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ रोजगार संबंद्ध प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य ईपीएफओ के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके रोजगार सृजन और कार्यबल को औपचारिक रूप देना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और कर्मचारियों एवं नियोक्ताओं को प्रोत्साहन के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना है।

भारत सरकार द्वारा आयोजित जनगणना 2011 के अनुसार, काम और रोजगार के लिए स्थान परिवर्तन करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या 4.14 करोड़ थी। यह प्रवास विभिन्न कारणों से होता है। श्रमिकों का एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास एक सतत प्रक्रिया है और स्वभाव से परिवर्तनशील है।

****